संख्या:119/2015/1151जेएल/22-3-15-100(6)/2009

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2015***

विषय: जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पुत्र श्री ओम प्रकाश को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-12753/सामा-1(3)/बंदी रिट/2014, दिनांक 09-04-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि उक्त बंदी के विरूद्ध वर्तमान में जनपद-बाराबंकी के मा0 न्यायालयों में कोई भी वाद विचारण हेतु लम्बित नहीं है। अत: सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पुत्र श्री ओम प्रकाश को जिला कारागार-मैनपुरी स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:119/2015/1151जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी/मैनपुरी।
2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/मैनपुरी।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी/मैनपुरी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in